कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.215

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन विकास एवं विनियमन अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्याः 1—487/99—1—फिन(एल0ए0) खण्ड—1—554, दिनांक 20.1.2000 के दृष्टिगत, कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे :—

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1.	श्री भूपेन्द्र कांत मिश्रा, अध्यक्ष	01.04.14 से 31.03.15
2.	श्री प्रकाश कश्यप, सचिव	01.04.14 से 17.11.14
3.	श्री सुशील गुलेरिया, सचिव	18.11.14 से 31.03.15

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रमांक	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1.	दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	20.65
2.	मण्डी शुल्क की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	4.39
3.	विभिन्न मण्डियों में वसूल योग्य मण्डी शुल्क की राशि का न वसूला जाना व कम वसूला जाना	9	0.32
4.	लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2015 तक मण्डी शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	12	12.08
5.	लाहौल पोटेटो सोसायटी से मण्डी शुल्क की वसूली का शेष पाया जाना	13	6.42
6.	विभिन्न बिलों में से स्थल पर की गई कटौती	18	0.95

(घ) मण्डी समिति की आय व व्यय के स्त्रोत निम्न प्रकार से हैं

(1) आय

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू को वर्ष 2014—15 में सामान्यतः निम्नलिखित मदों से आय प्राप्त हुई :—

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 40(3) के अन्तर्गत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय

(iii) मण्डी समिति के विभिन्न निकायों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों से मण्डी शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त आय

(iv) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मो के विक्रय से प्राप्त आय

(v) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय

(vi) मण्डी समिति कुल्लू परिसर में निर्मित पार्किंग की फीस के रूप में प्राप्त आय

(vii) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय

(viii) अन्य विविध आय

(2) व्यय

कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान सामान्यता निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :–

(i) वेतन, मानदेय, मजदूरी, अन्य विभिन्न भत्तों पर तथा कार्यालय मदों पर व्यय

(ii) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ती तथा यात्रा/दैनिक भत्ते इत्यादि पर व्यय

(iii) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय

(iv) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय

(v) मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय

(vi) डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यय

(vii) हिमाचल प्रदेश सरकार को देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय

(viii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49(3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में संलिप्त व्यय

(ix) कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय

(x) अन्य विविध व्यय

(ड़) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण **परिशिष्ट–"A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

कृषि उपज समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण, श्रीमती इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के कुल्लू स्थित कार्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा उपलबध की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करने के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3. अंकेक्षण शुल्क

कृषि उपज समिति कुल्लू के वर्ष 2014–15 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹873596/– आंका गया। मण्डी समिति द्वारा यह राशि डी0डी0 संख्याः 924945, दिनांक 13.10.2015 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित की जा चुकी है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई, मण्डी समिति कुल्लू की वर्ष 2014–15 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

आरम्भिक शेष	72635130.83
वर्ष में प्राप्तियाँ	52047471.00
कुल जमा	124682601.83
वर्ष में भुगतान	38997328.00
अन्तशेष	85685273.83
रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	85802472.81
अन्तर	117198.98
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दर्शाया गया अन्तर	89673.46
दिनांक 31.8.13 को रोकड़ बही में अधिक दर्शाई गई राशि	27361.52
के0सी0सी0 कुल्लू में अधिक दर्शाई गई राशि	164.00
योग	**117198.98**
(ख) बैंक के अनुसार अन्तशेष का विवरण	
हस्तगत राशि	250.00
परिशिष्ट "B" के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	63496735.00
परिशिष्ट "C" के अनुसार बचत खातों में जमा राशि	26998560.56
कुल योग	**90495545.58**
(ग) अन्तर की राशि 90495545.58–85685273.83=	**4810271.75**

(घ) अन्तर की ₹4810271.75

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू द्वारा वर्ष 2014–15 में रोकड़ बही व बैंक खातों के उक्त अन्तर का समाधान चार्टेड अकाउटैन्ट द्वारा तैयार करवाया गया था। बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट "D"** पर संलग्न है। तैयार की गई बैंक समाधान विवरणियों के अवलोकन पर कई लाखों ₹ की संदिग्ध प्रविष्टियाँ प्रतीत हुई जिनमें से कुछ एक का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) समाधान विवरण (पृष्ठ 6 व 7) K.C.C. बैंक खाता संख्या 635

दिनांक 30.9.2014 को निम्न नगद राशियाँ रोकड़ बही में जमा की गई व बैंक में जमा नहीं हुई दर्शाई गई।

दिनांक 30.9.14	₹8024
दिनांक 30.9.14	₹6111
दिनांक 30.9.14	₹334576

दिनांक 30.9.14 ₹4390

दिनांक 30.9.14 ₹38235

समाधान विवरणी में राशियों का समाधान संदिग्ध दुर्विनियोजन दर्शाता है। इन तथ्यों के निरीक्षण हेतु इस विभाग के अधिकारी द्वारा कृषि उपज समिति, स्थित कुल्लू का दौरा किया। नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त राशियाँ नगद की अपेक्षा चैक द्वारा प्राप्त हुई थी व ₹8024 दिनांक 7.10.14 ₹6111 दिनांक 7.10.14 को बैंक में जमा हुये थे। इसी प्रकार सीविल आपूर्ति विभाग से क्रमशः ₹334576 ₹4390 व ₹38235 कुल ₹377201 के चैक दिनांक 10.10.14 को बैंक शेष में जमा हुए है।

वार्षिक समाधान में इस प्रकार के गलत विवरण व आंकडे दर्शित नहीं होने अपेक्षित थे।

(2) समाधान विवरणी में दर्शित पिच्छले गत वर्षों में लाखों ₹ की प्रविष्टियों को रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया है।

(3) उपरोक्त खाता संख्या 635 में माह जून व जुलाई 2014 में समाधान विवरणी में लाखों ₹ के आंकडे बिना किसी विवरण के घटाये/जमा किये गये है।

(4) समाधान विवरणी (पृष्ठ 7) में दिनांक 29.3.14 को ₹25 लाख एक खाते से दूसरे खाते को हस्तांतरित की रोकड़ बही में प्रविष्टि न दर्शाकर अन्तर समाधान में दर्शाया गया है जबकि इस प्रकार की प्रविष्टि केवल (Contra) प्रविष्टि कर समाधान के अन्तर में दर्शित नहीं होता।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि वार्षिक समाधान विवरणी गलत तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में पाया गया किः–

(i) दिनांक 31.3.15 तक समय–2 पर प्राप्त ब्याज की राशियों को आय पक्ष में व बैंक चार्जिज इत्यादि का व्यय पक्ष में इन्द्राज नहीं किया गया था।

(ii) रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 को बैंक के शेष व सावधि निवेश का इन्द्राज नहीं किया गया था।

(iii) माह व वर्ष के अन्त में प्राप्ति के चैक जो बैंक में प्रस्तुत किये लेकिन भुनाए नहीं गये व व्यय के चैक जो जारी हुये लेकिन भुनाये नहीं गये का वर्णन रोकड़ बही में नहीं था।

अतः रोकड़ बही व बैंक खातों का समाधान कर अपेक्षित प्रविष्टियाँ कर अंकेक्षण से पुष्टि कराई जानी सुनिश्चित की जाए व रोकड़ बही का नियमानुसार लेखाकंन व आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सुदृढ़ निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये।

5 सावधि जमा योजना में निवेश

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक ₹63496735 सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"B"** में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाकर/आहरित करके, इनका पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

6 बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने के कारण ब्याज की सम्भावित हानि

वर्ष 2014–15 के बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातों में दिनांक 31.03.2015 तक ₹26998560.58 शेष पड़ी थी, जिनका विवरण **परिशिष्ट–"C"** पर दिया गया है। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके बचत खातों में आवश्यकतानुसार ही राशि रखकर शेष उचित राशि का सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया जाए ताकि इस पर अधिकतम ब्याज प्राप्त करके विपणन समिति की आय को बढ़ाया जा सके अन्यथा बचत खाते में अधिक राशि रखने पर मण्डी समिति को ब्याज की हानि का होना स्वाभाविक है, जिसका भविष्य हेतु परिहार किया जाए।

7 दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹20.65 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना

कृषि उपज मण्डी समिति के माँग तथा संग्रह रजिस्टर (Demand & Collection Register) तथा अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पायाग या कि **परिशिष्ट "E"** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹2065403 वसूली हेतु शेष थे जिसकी सूचना अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65 दिनांक 2.7.2016 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति को दे दी गई है।

विगत वर्षों में विभिन्न आंबटियों से वसूली हेतु शेष किराए का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	तिथि जिस दिन किराए की वसूली शेष थी	वसूली योग्य किराए की राशि
1	31.3.2005	149945
2	31.3.2006	585175
3	31.3.2007	892936
4	31.3.2008	850527
5	31.3.2009	820427
6	31.3.2010	836324
7	31.3.2011	1064816
8	31.3.2012	1689485

9	31.3.2013	1996748
10	31.3.2014	1950896

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली बारे कृषि उपज मण्डी समिति के गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार आपत्ति उठाई जा रही है, किन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी उचित कार्यवाही नहीं गई है अपितु लम्बित किराए की राशि में प्रतिवर्ष बढ़ौतरी ही हुई है जैसा कि उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है। अतः उक्त लम्बित किराए की शेष राशि की शीघ्र वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में सभी दुकानों के आबंटियों से निर्धारित समय पर किराए की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 मण्डी शुल्क की बकाया ₹4.39 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की विभिन्न उप मण्डियों के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों एवं **"ओ"** फार्मों की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि विभिन्न लाईसैंस धारी व्यापारियों से दिनांक 31.03.2015 तक यथा **परिशिष्ट–"(F)"** पर दिए गए विवरणानुसार मण्डी शुल्क की ₹439260 वसूली हेतु शेष है। उक्त लम्बित वसूली के कारण जहां एक ओर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को ब्याज के रूप में भी हानि उठानी पड़ रही है जो कि समिति के हित में नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 में विनिर्दिष्ट निवेशों के अन्तर्गत वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विभिन्न मण्डियों से वसूली योग्य मण्डी शुल्क ₹0.32 लाख की वसूली न करना व कम वसूली करना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के अधीनस्थ एवं विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2014–15 की आय की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न मण्डियों के विभिन्न लाईसैन्स धारी व्यापारियों से वसूली योग्य मण्डी शुल्क से कम शुल्क वसूला गया है या तो किन्ही व्यापारियों से वसूला ही नहीं गया है जिसका विवरण यथा **परिशिष्ट "G"** पर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप मण्डी समिति को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को निश्चित तौर पर ब्याज के रूप में भी हानि उठानी पड़ रही है जोकि समिति के हित में नहीं है। कम जमा की गई राशियों की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

10 विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों की नस्तियों में संलग्न क्रमवार ओ फार्मों में से अनेक ओ फार्मों का अनुपलब्ध होना

मण्डी समिति कुल्लू की विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2014–15 की आय की जाँच करने के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाईसैंस धारी व्यापारियों की नस्तियों में क्रमवार ओ फार्मों में से अनेक ओ फार्म नहीं पाए गए है। इस प्रकार क्रमवार जारी किए गए ओ फार्मों में से कुछ फार्मों का न पाया जाना एक गम्भीर अनियमितता का मामला है तथा नस्तियों में नहीं पाए गए ओ फार्मों में संलिप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन फार्मों के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त अनुपलब्ध "ओ" फार्मों में कितना व्यापार किया गया है व कितना मण्डी शुल्क प्राप्त हुआ/प्राप्ति योग्य था। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में ओ फार्म अनुपलब्ध है लेकिन उसी अवधि के मण्डी शुल्क की वसूली की गई है। लाईसैंसधारी व्यापारियों के ओ फामों के नस्तियों से गायब होने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाऐं तथा यह भी स्पष्ट करें कि कुछ गायब ओ फार्मों से सम्बन्धित वसूली गई मण्डी शुल्क की राशि का आंकलन किस आधार पर किया गया है तथा भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली के समय व्यापारियों को जारी किए गए ओ फार्मों की जाँच क्रमवार सम्बन्धित रजिस्टर से करके सही मण्डी शुल्क की वसूली सुनिश्चित करें ताकि मण्डी समिति को सम्भावित हानि व दुर्विनियोजन से बचाया जा सके। विभिन्न व्यापारियों की नस्तियों से अनुपलब्ध ओ फार्मों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	उप मण्डी का नाम	फर्म का नाम	ओ फार्म सं0	वसूला गया मण्डी शुल्क
1	बन्जार	नेगी फ्रूट कम्पनी	17401	मण्डी शुल्क नहीं वसूला गया
2	बन्दरोल	शिवभोले फ्रूट कम्पनी	72825 व 26, 72824	₹15573 मण्डी शुल्क नहीं वसूला गया
	बन्दरोल	जगदम्बा फ्रूट कम्पनी	10444 से 48	₹7132
	बन्दरोल	प्रताप चन्द ठाकुर फ्रूट कम्पनी	183237 से 44 183245 से 63	₹2322 ₹6214
3	खेगसू	चौहान फ्रूट ट्रेडर्ज	22613 से 15	कोई मण्डी शुल्क नहीं
		ठाकुर फ्रूट कम्पनी	10048 से 53	कोई मण्डी शुल्क नहीं
		आर्यन फ्रूट ऐजेन्सी	13329 से 31	कोई मण्डी शुल्क नहीं

		मोहिन्द्र फ्रूट कम्पनी	10220 से 10250	कोई मण्डी शुल्क नहीं
		राजेन्द्र कुमार फ्रूट एण्ड वेजिटेबल कमीशन ऐजेन्ट	0010487	₹1133

11 विभिन्न मण्डियों से वसूले गए मण्डी शुल्क/सुविधा शुल्क तथा अन्य वसूलियों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव सही प्रकार से न किया जाना तथा अभिलेखों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के अधीनस्थ एवं विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2014–15 की आय की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न मण्डियों में तैनात प्रभारियों द्वारा अभिलेखों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण और आधा अधूरा अभिलेख अंकेक्षण के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप मण्डी शुल्क की वास्तविक वसूली का सत्यापन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार की अनेक आपत्तियाँ गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाई गई थी लेकिन मण्डी समिति द्वारा इस सन्दर्भ में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अंकेक्षण के दौरान उप मण्डियों के अभिलेखों में पाई गई कुछ त्रुटियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(क) अनेक रसीद पुस्तकों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना

वर्ष 2014–15 के दौरान फीस वसूली से सम्बन्धित रसीद पुस्तकों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न मण्डियों में तथा नाका चौकियों में फीस वसूली से सम्बन्धित रसीद पुस्तकें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके अभाव में सही वसूली तथा वसूली गई राशियों का बैंक में जमा किए जाने की पुष्टि/सत्यापन अंकेक्षण में नहीं किया जा सका। जो रसीद पुस्तके अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

1 उप मण्डी भुन्तर में प्रयोग की गई रसीद संख्या 683901 से 684000 तक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

2 नाका चौकी बजौरा:–

1 673101 से 673200

2 673401 से 673500

3 0606401 से 0606500

4 618901 से 619000

3 नाका चौकी लुहरी में रसीद संख्या 678601 से 678624 तक प्रस्तुत नहीं की गई

4 उप मण्डी खेगसू मे ंप्रयोग की गई रसीद संख्या 57001 से 57100 तक प्रस्तुत नहीं की गई।

(ख) ओ फार्मों का नस्तियों से गायब पाया जाना तथा बिना ओ फार्मो के फीस की वसूली का किया जाना

जाँच में यह भी पाया गया कि अनेक मामलों में लाईसैंसधारी व्यापारियों द्वारा किए गए व्यापार से सम्बन्धित ओ फार्म नस्तियों मे संलग्न नहीं किए गए है लेकिन लेजर में उक्त ओ फार्मों से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की वसूली का विवरण दिया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त वसूले गए मण्डी शुल्क का आंकलन किस आधार पर किया गया है जबकि ओ फार्मों पर किए गए व्यापार की अवधि वस्तु की मात्रा तथा मूल्य आदि अंकित होता है जिसके आधार पर मण्डी समिति को देय फीस का आंकलन किया जाता है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ व उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ग) लैजर का रख रखाव सही ढ़ंग से न करनाः–

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2014–15 की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों/दस्तावेजों की जाँच के दौरान पाया गया कि फीस वसूली से सम्बन्धित लैजरों का रख रखाव सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है। मण्डी शुल्क की वसूली का समस्त अभिलेख इन्ही लैजरों में किया जाता है लेकिन अनेक प्रकरणों में वसूली गई फीस का इन्द्राज इनमें नहीं किया जाता जोकि गम्भीर अनियमितता है। जाँच में यह भी पाया गया कि लैजर में कुछ लाईसैंस धारी व्यापारियों के तो फीस की वसूली से सम्बन्धित खाते भी नहीं खोले गए हैं जबकि रसीद पुस्तकों की जाँच में पाया गया है कि इन फार्मों से फीस की वसूली की गई है और रसीदें भी जारी की गई है। अतः मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष यह प्रकरण इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले की संस्था स्तर पर पूर्ण जाँच करके मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख पूर्णकर लेखा परीक्षा से जाँच करवाया जाए।

12 लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2015 तक ₹12.08 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों की नस्तियों में संलग्न **''ओ''** फार्मों की जाँच में पाया गया कि आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2015 तक निम्नानुसार मण्डी शुल्क की ₹1207690 वसूली हेतु शेष हैं। अतः इसकी वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 75(1)ए के अर्न्तगत शीघ्र कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से यथा सम्भव अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	पिछला बकाया	वर्ष 2014–15 में देय राशि	कुल राशि	प्राप्त राशि	31.03.15 तक बकाया राशि
1.	मै0 हरि सिंह ठाकुर	99667	606615	706282	349667	356615
2.	मैं0 सुशील कुमार एण्ड कम्पनी	34435	553712	588147	284435	303712
3.	मै0 भगवान सिंह एण्ड कम्पनी	230577	647363	877940	330577	547363
						1207690

13 लाहौल पौटेटो सोसाइटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹6.42 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैंसधारी लाहौल पौटैटो ग्रोवर को0 ऑपरेटिव सोसाईटी की वर्ष 2014–15 की रिटर्न (Return) की जाँच के उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक उनसे निम्न विवरणानुसार ₹642106 वसूली हेतु शेष हैं, जिसकी वसूली अतिशीघ्र की जाए तथा कृत अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	पिछला बकाया	वर्ष 2014–15 में देय राशि	कुल राशि	प्राप्त राशि	31.3.15 तक बकाया राशि
1.	एल0पी0एस0	142072	746053	888125	246019	642106

14 कम्पाउंड शुल्क की वसूली रसीद पुस्तकों में वस्तु का नाम मात्रा व मूल्य दर्शाए बिना ही प्राप्त करना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के अधीन विभिन्न नाका चौकियों की वर्ष 2014–15 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि नाका चौकियों पर गैर लाईसैसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की प्राप्ति वस्तु की मात्रा व मूल्य का वर्णन न दर्शाकर की गई है। इसके कई प्रकरणों में तो यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कम्पाऊंड शुल्क किस वस्तु पर लिया जा रहा है। इस प्रकार वसूले गए उपरोक्त कम्पाऊंड शुल्क की प्रमाणिकता संदेहास्पद होने के साथ–साथ इसकी वैधता पर प्रश्नचिन्ह से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः अनियमितता का उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति प्रशासन के ध्यानार्थ प्रभावी पर्यावेक्षण हेतु लाया जाता है।

15 हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अनियमित तौर पर वाहन को कार्याधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने के सन्दर्भ में

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की वर्ष 2014–15 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि कार्यालय वाहन संख्या एच0पी0 34 A–7119 को मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर अनेक बार ले जाया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "H"** पर संलग्न है जोकि सरकारी वाहनों के रख रखाव तथा प्रयोग सम्बन्धी नियम 39 की सरासर अवहेलना है। मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा न तो यात्रा से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार (मुख्य सचिव) की अनुमति ली गई न ही यात्रा के बाद कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जिसे अब प्राप्त करके सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में उक्त चूक को दोहराने से परिहार किया जाए।

16 नाका चौकी बजौरा में रसीदों पर अंकित वास्तविक राशि पर Over writing (ऊपर से लिखना) करके अन्य राशि का लिखा जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के अधीन नाका चौकी बजौरा की वर्ष 2014–15 की आय की जाँच के दौरान पाया गया कि अनेक प्रकरण में काटी गई वास्तविक रसीदों पर अंकित वास्तविक राशि को काट कर कम राशि को अंकित किया गया है, जिससे कि वास्तविक वसूल की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। रसीदों से छेड़छाड़ एक गम्भीर वित्तीय मामला है। जिसका विवरण **परिशिष्ट "I"** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य मामले में नाका चौकी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा पहले किसी व्यापारी को रसीद जारी की गई फिर उस रसीद को रद्द कर दिया गया फिर से उसी व्यक्ति के नाम पर अन्य रसीद कम राशि की जारी की गई। कुछ मामलों में तो जारी की गई रसीद को रद्द किया गया फिर अन्य कोई भी रसीद न अधिक न कम राशि की जारी की गई। नाका चौकी पर तैनात कर्मचारियों का इस प्रकार की कार्य प्रणाली में दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक मामलों में व्यापारियों को जारी की गई रसीदों की कार्बन कापियों पर राशि को पैन से अंकित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में यह जानना अत्यन्त कठिन है कि वास्तविक रसीद कितनी राशि की काटी गई है। उपरोक्त सभी प्रकार की अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रसीद सं0	पहले काटकर रद्द की गई रसीद की राशि	दोबारा जारी की गई रसीद की राशि	कार्बन कापी पर पैन से अंकित की गई राशि	टिप्पणी
1	0608876/03.9.14	1980	350	–	–
2	0694452/शून्य	600	100	–	–
3	0608298/31.8.14	450	नई रसीद जारी नहीं की गई		
4	0679275/28.8.14	760	–यथोपरि–		
5	0667818/शून्य	300	–यथोपरि–		
6	0643931/31.10.14	740	460		
7	0643938/31.10.14	1490	950		
8	0711913/9.10.14	2500	2000		
9	0711014/5.10.14	–	–	2800	कार्बन कॉपी पर पैन से लिखी राशि
10	0712000/22.10.14	–	–	400	–यथोपरि–
11	0711886/8.10.14	–	–	4200	–यथोपरि–

17 डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹120.44 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति द्वारा वर्ष 2014–15 में निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास ₹12044256 जमा करवाई गई थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–"J"** पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करवाई गई ₹12044256 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए हैं जिन्हें विपणन बोर्ड शिमला से शीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

18 विभिन्न बिलों में से स्थल पर ₹0.95 लाख की कटौती करने बारे

वर्ष 2014–15 में निवासी अंकेक्षण योजना में पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की जाँच पड़ताल करने पर अंकेक्षण द्वारा ₹95408 की स्थल पर ही कटौती की गई है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ़ करके पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों को सही प्रकार

से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अनियमित अदायगी से बचा जा सके। स्थल पर की गई कटौती का विवरण यथा **परिशिष्ट–"K"** पर दिया गया है।

19 लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाएं

वर्ष 2014–15 के दौरान अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को जारी की गई अंकेक्षण अधियाचनाओं में से निम्नलिखित अंकेक्षण अधियाचनाएं निपटारे हेतु शेष हैं :–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनांक 25.4.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54 दिनांक 29.4.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 56 दिनांक 3.5.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74 दिनांक 6.6.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75 दिनांक 6.6.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 81 दिनांक 7.6.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 112 दिनांक 22.7.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 116 दिनांक 27.7.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118 दिनांक 30.7.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 127 दिनांक 7.8.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 134 दिनांक 22.8.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135 दिनांक 23.8.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 142 दिनांक 6.9.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150 दिनांक 20.9.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162 दिनांक 1.11.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172 दिनांक 14.11.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 176 दिनांक 7.11.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 177 दिनांक 8.11.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 180 दिनांक 6.12.14
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37 दिनांक 16.3.15

अतः उपरोक्त सभी वर्णित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ–साथ गत वर्षों की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21 **निष्कर्ष :—** मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लेखाओं का रख—रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में तथा अंकेक्षण में अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में मण्डी समिति की गति शीघ्रता नगण्य है, जिस कारण जहां अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी विलम्ब होता है। अतः लेखों में सुधार के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख भी यथा समय अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाएं।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)—79 / 84—खण्ड—09—1151—1154, दिनांकः20. 02.2017 शिमला—09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पंजिकृत

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को तथा अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति कुल्लू को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन भवन खलीनी, शिमला—171002.
3. विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002.
4. अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू , जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट–"A" **(पैरा I(ङ) के सन्दर्भ में)**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित अनिर्णीत पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1977 से 3/1983

1.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत	₹4.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
2.	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत	₹1.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
3.	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
4.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क न लिए जाने बारे
5.	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों द्वारा क्रय विक्रय का दैनिक विवरण फार्म ''एम'' मे न भरने बारे
6.	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे
7.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत	पेड़ों की नीलामी से हानि बारे
8.	पैरा 9(ए से एच)	अनिर्णीत	अस्थाई बिजली फिटिंग का कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति एवं टैडर से करने बारे तथा अनियमित भुगतान इत्यादि के मामलों के बारे में
9.	पैरा 9(vi)	अनिर्णीत	सात लकड़ी के खोखों की खरीद बिना बजट प्रावधान व बिना स्वीकृति के करना
10.	पैरा 13(v)	अनिर्णीत	आलू ग्राऊंड को समतल करवाने से सम्बन्धित व्यय रिकॉर्ड सहित अंकेक्षण को न दर्शाने बारे

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1984

1.	पैरा 5(सी) (I, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	लाहौल पोटैटो सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के खर्च की कटौती बारे
2.	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत	सेब व पलम पर मण्डी शुल्क न लेने बारे
3.	पैरा 5(एफ)	अनिर्णीत	बिना लाईसैंस व मण्डी शुल्क लेने से कमेटी को हानि बारे
4.	पैरा 10(बी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को 6 दुकानों के निर्माण कार्य के बारे में रिकॉर्ड न दिखाना

5.	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को ग्राऊंड को समतल करवाने सम्बन्धी कार्य के भुगतान का रिकॉर्ड न दिखाना

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	29 व्यापारियों (Dealers) लाईसैंसधारियों द्वारा एम फार्म में रिटर्न जमा न करवाना
2.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा आलू के बीज के 1172 बैग के मण्डी शुल्क की रिटर्न न भरने बारे
3.	पैरा 5(iii)(बी) (2, 4, 5)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
4.	पैरा 5(iv) (i, ii, iii)	अनिर्णीत	शनाग को0आ0 सोसाईटी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
5.	पैरा 5(v)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ लाहौल आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
6.	पैरा 8	अनिर्णीत	चौरी विहाल की दुकान/बूथ के किराये बारे
7.	पैरा 9	अनिर्णीत	पत्थरों की नीलामी से हानि बारे
8.	पैरा 11(1)	अनिर्णीत	अनियमित भुगतान बारे
9.	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत	कुल्लू में 6 दुकानों के निर्माण कार्य के रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना
10.	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों से स्टोरेज चार्जिज न लिए जाने से कमेटी को हानि बारे

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1987

1.	पैरा 5	अनिर्णीत	ग्रांट की बकाया ₹40,953/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना
2.	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत	लाहौल पौटेटो को0आ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
3.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ हरी सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति से मण्डी शुल्क में खर्च की कटौती बारे
4.	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत	मैं0 मनाली आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे

5.	पैरा 6(डी)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹21,666/– की वसूली बारे
6.	पैरा 9	अनिर्णीत	निर्माण कार्य मार्किट यार्ड बहांग में 14 दुकानों का कार्य अधूरा होने बारे

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1.	पैरा 12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य का भुगतान अंकेक्षण को न दिखाना

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1.	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	दैनिक वेतन भोगियों को सरकारी दरों से अधिक दरों पर किया गया भुगतान
2.	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य हेतु खरीदे गए सामान का सही रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 10(3)	अनिर्णीत	विश्राम गृह हेतु फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति न लेने बारे
4.	पैरा 10(5)	अनिर्णीत	चेयर मैन/अधिकारी विपणन बोर्ड/समिति कुल्लू द्वारा टैक्सी के प्रयोग के भुगतान बारे
5.	पैरा 10(7)	अनिर्णीत	मोटर साईकल पर पैट्रोल की खरीद पर व्यय बारे
6.	पैरा 10(12)	अनिर्णीत	ठेकेदारों को धरोहर राशि की वापसी बारे
7.	पैरा 10(15)	अनिर्णीत	ग्रेच्युटी व अवकाश वेतन की जाँच हेतु अंकेक्षण में सेवा पुस्तिका प्रस्तुत न करना
8.	पैरा 10(17)	अनिर्णीत	फार्म "एम" जारी किए गए परन्तु मण्डी समिति में जमा नहीं किए गए
9.	पैरा 11	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2000

1.	पैरा 11	अनिर्णीत	निर्माण कार्य के एवज़ में हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002

1.	पैरा 13	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से प्राप्त न करने बारे

2.	पैरा 14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत	टैक्सी द्वारा यात्रा का विवरण बिल में न दर्शाना
4.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	बजट से अधिक खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति न दिखाना
5.	पैरा 17	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से सम्बन्धित फार्म ''एम'' पर रिटर्न का न भरना

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1.	पैरा 7	अनिर्णीत	अध्यक्ष को घर से कार्यालय तक यात्रा भत्ता दैनिकी इत्यादि पर ₹2,57,800 का गलत भुगतान
2.	पैरा 14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 18	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड चौरी विहाल सब्जी मण्डी की रसीद बुक का सत्यापन न होना

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1.	पैरा 12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र न दर्शाना
2.	पैरा 18(1 से 6)	अनिर्णीत	रसीद बुकों के सारे पैसों को जमा न करके रद्द करने बारे

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू व उप–सब्जी मण्डी चौरी विहाल के मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना
2.	पैरा 13	अनिर्णीत	उप सब्जी मण्डी पतलीकूहल में आबंटित स्टॉलों/बूथों का किराया न वसूलने बारे
3.	पैरा 14(2)	अनिर्णीत	मॉर्डन (Modern) फ्रूट कम्पनी द्वारा आलू के 775 बैग से सम्बन्धित मण्डी शुल्क व फार्म ''एम'' रिटर्न न भरने बारे
4.	पैरा 14(4)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से किराए की कटौती बारे
5.	पैरा 17(2)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों से मण्डी शुल्क की वसूली बारे

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1.	पैरा 7(1 से 6)	अनिर्णीत	₹17,54,813 के डिपाजिट/निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड से लेकर न दर्शाने बारे
2.	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	हाप्स पर मण्डी शुल्क न लेने से ₹48,135 की मण्डी शुल्क की हानि बारे
3.	पैरा 11(क)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू के अवधि 2005–06 व 2006–07 की रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना
4.	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की रिटर्न (अवधि 2005–06, 2006–07) का फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना
5.	पैरा 12(1, 2, 3)	अनिर्णीत	बिजली के बिलों में पाई गई अनियमितताओं को अंकेक्षण में न बताने बारे
6.	पैरा 15(3)	अनिर्णीत	चल–अचल सम्पति रजिस्टर तैयार न करने बारे

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1.	पैरा 7(ग)(2)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से ₹5,06,405 का व्यय विभिन्न वर्षों में बिना कमेटी की स्वीकृति के करने बारे
2.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा बिना लाईसैंसधारियों से ₹41,931 की मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे
3.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	उप सब्जी मण्डी कुल्लू के वर्ष 2005–06, 2006–07 व 2007–08 के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
4.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की वसूली बारे

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1.	पैरा 4(ग)(2)	अनिर्णीत	देय मण्डी शुल्क की राशि में से व्यय के रूप में की गई कटौती की राशि के अनुमोदन बारे
2.	पैरा 4(ग)(3)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 सोसाईटी से मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे

3.	पैरा 5	अनिर्णीत	विभिन्न उप मार्किट यार्डों में अवधि 31.03.2008 तक की बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे
4.	पैरा 8	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामें लेखा परीक्षा को नहीं दर्शाने बारे
5.	पैरा 10	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बधित अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न करने बारे
6.	पैरा 11	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामों/लीजडीड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे
7.	पैरा 12	अनिर्णीत	लाईसैंसों का नियमानुसार पंजीकरण न करना
8.	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	विभिन्न बैरियरों पर जारी किए गए रजिस्टरों व इनवैन्ट्री रजिस्टर बारे
9.	पैरा 13(2	अनिर्णीत	फार्म "ओ" के सत्यापन बारे

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1.	पैरा 6(ग)2)	अनिर्णीत	बिना कमेटी की स्वीकृति से मण्डी शुल्क की देय राशि से बिजली बिलों पर व्यय की कटौती बारे
2.	पैरा 7	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 द्वारा समय पर मण्डी शुल्क की राशि जमा न करवाने पर हुई ब्याज की राशि की हानि बारे
3.	पैरा 8	अनिर्णीत	विभिन्न जारी किए गए फार्मों की बिक्री से हुई प्राप्त राशि के जमा बारे
4.	पैरा 10	अनिर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
5.	पैरा 11	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने बारे
6.	पैरा 12	अनिर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
2.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
3.	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
4.	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
5.	पैरा 6 (i, ii, iii, iv, v)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹8,53,338 की वसूली बारे

6.	पैरा 7	अनिर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.03.2011 तक ₹5,26,993 की वसूली बारे
7.	पैरा 8	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर सोसाईटी से मण्डी शुल्क की बकाया ₹1,17,318 की वसूली बारे
8.	पैरा 9	अनिर्णीत	संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत अवधि 31.03.2011 तक भुगतान की गई ₹83,758 की दूसरी विपणन समितियों से भरपाई करने बारे
9.	पैरा 10	अनिर्णीत	₹1,26,02,034 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
10.	पैरा 11	अनिर्णीत	सब मार्किट यार्ड बन्दरोल में उगे पौधों की लागत ₹3,58,730 का भुगतान वन मण्डलाधिकारी कुल्लू को करने बारे
11.	पैरा 12	अनिर्णीत	विपणन समिति कुल्लू द्वारा विभिन्न सब मार्किट यार्डों में आबंटित दुकानों के एग्रीमेन्ट को लेखा परीक्षा में न दर्शाने बारे
12.	पैरा 13	अनिर्णीत	लाईसैन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण न करना
13.	पैरा 14	अनिर्णीत	देय दुकानों के किराये की ₹4,75,200 की कम वसूली बारे

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कार्यालय द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को वन निगम के नाम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक कुल्लू में गिरवी रखना
2.	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने पर ब्याज की हानि
3.	पैरा 6	अनिर्णीत	उप मण्डी भून्तर से प्राप्त आय की ₹1,09,073/– को बैंक मे जमा न करवाया जाना
4.	पैरा 7	अनिर्णीत	दुकानदारों से आबंटित दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹16,89,485/– की वसूली न करना
5.	पैरा 8	अनिर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा आबंटित दुकानों/बूथों से पिछले 15–20 वर्षों मे किराए की वसूली न करना

			तथा किराये की वसूली के बिना आबंटित दुकानों/बूथों को दूसरी फर्मों के नाम स्थानान्तरित करना
6.	पैरा 9	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹4,01,183/– की वसूली न करना
7.	पैरा 10	अनिर्णीत	लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क की ₹1,04,327/– कम वसूल किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि
8.	पैरा 11	अनिर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.03.2012 तक ₹2,70,200/– का वसूली हेतु शेष पाया जाना
9.	पैरा 12	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹1,36,529/– की वसूली न करना
10.	पैरा 13	अनिर्णीत	नाकाचौकी बजौरा, लुहरी तथा लारजी में लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹29,287/– की कम वसूली करना
11.	पैरा 14	अनिर्णीत	विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की ₹9,19,666/– की वसूली से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
12.	पैरा 15	अनिर्णीत	उप मण्डी समिति कुल्लू के विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीदों की रसीद संख्या तथा दिनांक इत्यादि को सम्बन्धित लैजर में अंकित न करना
13.	पैरा 16	अनिर्णीत	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में कमी पाई जाना
14.	पैरा 17	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड कुल्लू की आय से सम्बन्धित लैजर के रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे
15.	पैरा 18	अनिर्णीत	डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1.	पैरा 6	अनिर्णीत	(बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने से ब्याज की हानि)

2	पैरा 7 (क, ख, ग, घ, ड़, च, छ)	अनिर्णीत	(रोड़ड बही का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे)
3	पैरा 8	अनिर्णीत	(दुकानदारों से दुकानों से लम्बित किराये के रूप में ₹19,96,748/– की वसूली बारे)
4	पैरा 9	अनिर्णीत	(मण्डी शुल्क की बकाया ₹3,71,743/– की वसूली बारे)
5	पैरा 10	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में कम्पाऊंड शुल्क में से ₹19,020 को बैक में कम जमा करवाने बारे)
6	पैरा 11	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा तथा लारजी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड ष्शुल्क की राशि ₹42,105 की कम वसूली बारे)
7	पैरा 12	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹3,19,118 से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण मं प्रस्तुत न करने बारे)
8	पैरा 13	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों में एक ही क्रम संख्या की रसीद पुस्तकों का प्रयोग किए जाने बारे)
9	पैरा 14	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से वसूली मण्डी प्रांगण में न करने बारे)
10	पैरा 15	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों में वसूली गई फीस से सम्बन्धित दस्तावेज़ व्यापारियों की नस्तियों में न पाया जाना)
11	पैरा 16	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों की नस्तियों में कुछ फार्मों का न पाया जाना)
12	पैरा 17	अनिर्णीत	(मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रसीदों का इन्द्राज सम्बन्धित लेजर में न करने बारे)
13	पैरा 18	अनिर्णीत	(डिपोजिट कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे)
14	पैरा 19	अनिर्णीत	(निजी प्रिंटिंग प्रेस से 10 रोकड़ बहियों को छपवाने बारे)
15	पैरा 21	अनिर्णीत	(लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाओं बारे)

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/2014

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा 4	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	निर्णीत	(सावधि जमा में निवेश)

4	पैरा 6	अनिर्णीत	(बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि)
5	पैरा 7	अनिर्णीत	(वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक बचत खातों की संख्या में अत्याधिक बढ़ौतरी)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	(दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹1950896 की शेष वसूली)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	(मण्डी शुल्क की बकाया ₹562055 का वसूली हेतु शेष पाया जाना)
8	पैरा 10	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क में से ₹9520 का बैंक में कम जमा करना)
9	पैरा 11	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹68145 की कम वसूली)
10	पैरा 12	अनिर्णीत	(उप मण्डी भुन्तर में एक ही समय पर अनेक क्रम संख्या की कई रसीद पुस्तकों का प्रयोग किया जाना)
11	पैरा 13	अनिर्णीत	(लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.14 तक ₹364679 का वसूली हेतु शेष पाया जाना)
12	पैरा 14	अनिर्णीत	(लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹142072 का वसूली हेतु शेष पाया जाना)
13	पैरा 15	अनिर्णीत	(लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली अंश भुगतान के रूप में प्राप्त करने बारे)
14	पैरा 16 (क, ख)	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों से वसूले गए मण्डी शुल्क/सुविधा शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही प्रकार से न किया जाना)
15	पैरा 17 (क से ङ)	अनिर्णीत	(रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित प्राप्ती एवं वितरण रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार नहीं ढ़ंग से न किया जाना)
16	पैरा 18	अनिर्णीत	(मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आयकर विभाग को आयकर की ₹6881305 तथा जुर्माना की ₹30000 अर्थात कुल ₹6911305 का अनावश्यक भुगतान किए जाने बारे)

17	पैरा 19	अनिर्णीत	(सेवा शुल्क के जुर्माने की ₹13265 का अनावश्यक भुगतान करने बारे)
18	पैरा 20	अनिर्णीत	(डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹10180093 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना)

अनिर्णीत पैरों का सार :–

प्रारम्भिक शेष	**142**
वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरे	**16**
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरा	**3**
अन्तशेष	**155**